सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

प्रगति प्रतिवेदन
2019-20

सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग
राजस्थान

राजस्थान
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

अनुक्रमणिका

विषय	पृष्ठ संख्या
1. परिचय	
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग	4
राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड	7
राजस्थान नॉलेज कारपोरेशन लिमिटेड	7
2. प्रशासनिक तंत्र	7
3. विभाग द्वारा किये गये अभिनव प्रयोग	
जन सूचना पोर्टल	12
स्टेट डाटा सेन्टर (SDC)	12
राज उद्योग मित्र पोर्टल (Raj Udyog Mitra Portal)	13
ऋण माफी आवेदन पोर्टल (Loan Waiver Portal)	13
मीडिया मैनेजमेंट सिस्टम (Media Management System)	14
बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम (BPAS)	14
भूरूपांतरण प्रणाली (90A)	14
4. नीतिगत पहल	
आधार नामांकन, अधिप्रमाणन और आधार समर्थ सेवाओं का परिदान	15
राजस्थान स्टार्टअप	15
5. सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की महत्वपूर्ण परियोजनाऐं	
राजस्थान सम्पर्क	16
नागरिक सम्पर्क केन्द्र	17
विडियो वाल	17
राजवीसी	17
राजनेट	18
राज वाई–फाई	18

राजस्वान 18
ई–मित्र 18
ई–मित्र प्लस 19
राज पेमेंट 19
राज ई–साईन 19
स्टेट–पोर्टल 20
एकीकृत सरकारी वेबसाईट/पोर्टल्स 20
ई–संचार एवं आई–फेक्ट 20
राज्य मास्टर केन्द्रीयकृत डाटा हब 21
राज–काज (इन्टीग्रेटेड राज ई– ऑफिस) 21
राज ई–वाल्ट 21
सिंगल साईन ऑन (राज एस.एस.ओ.) 22
राज मेल 22
भौगोलिक सूचना तंत्र (जी.आई.एस.) 22
राजबोट 23
रोबोटिक्स 23
आधार डेटा वोल्ट 23
राज सेवा द्वार 23
डाटा एनालिटिक्स एवं बिग डाटा क्लस्टर 23
सिक्योरिटी ऑपरेशन सेन्टर (SOC) 24
6. मानव संसाधन विकास
सरकारी कार्यालयों में क्षमता निर्माण 24
इन्दिरा गांधी मुक्त राष्ट्रीय विश्वविद्यालय 24
राजस्थान नॉलेज कारपोरेशन 25
7. अन्य विभाग की महत्वपूर्ण परियोजनाओं को तकनीकी सहायता
वाइल्डलाइफ सर्विलांस एंड एंटी–पॉचिंग सिस्टम (WS&APS) 25
ई–बाजार 25
वन विभाग और निर्णय सहायता प्रणाली (FMDSS) 26
आरटीआई पोर्टल 26

एसआईएमएस पोर्टल (SIMS: Sales and Inventory Management System) 27
कमांड़ एण्ड कन्ट्रोल सेन्टर (अभय) 27
एकीकृत भर्ती पोर्टल (Rajasthan Recruitment Portal) 27
रास परियोजना (RAAS) 28
ई–टेन्डर (e-Procurement) 28
एकीकृत स्वास्थ्य प्रबंधन प्रणाली (IHMS) 29
राजधरा 29
राजमेघ 30
ई–राजस्व न्यायालय (e-Revenue Courts Portal) 30
राजसहकार परियोजना 30
राजनीर परियोजना 31
एकीकृत ई–पंचायत सॉफ्टवेयर 31
राज ई. आर. पी. 31
लेबर डिपार्टमेंट मैनेजमेंट सिस्टम 32
राजफेब (RajFab) 32
स्टेट इंश्योरेंस एवं प्रोविडेंट फण्ड पोर्टल (SIPF) 32
लाईट्स–न्याय विभाग (LITES) 33
राज ई–ज्ञान Raj-e-Gyan 33
एकीकृत उच्च एवं तकनीकी शिक्षा पोर्टल 33
लर्निग मेनेजमेण्ट सिस्टम (RAJ-LMS) 34
स्मार्ट क्लास रूम, शिक्षा विभाग 34
राजस्थान जन–आधार योजना का तकनीकी प्रबन्धन 34

8. वर्ष वार विगत 3 वर्षो के वित्तीय लक्ष्य तथा व्यय 35

9. पुरस्कार एवं प्रशंसा 36

1. परिचय

• सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी परियोजनाओं को सुव्यवस्थित, योजनाबद्ध एवं उचित दिशा प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने वर्ष 1987 में कम्प्यूटर निदेशालय की स्थापना की। तत्पश्चात आदेश संख्या प027(2)मंमं/1997 दिनांक 30 सितम्बर, 1997 द्वारा विभाग का नाम सूचना प्रौद्योगिकी विभाग किया गया। मंत्रिमंडल सचिवालय के आदेश संख्या प027(1)मंमं/2002 दिनांक 13 मई, 2002 द्वारा इसके कार्य क्षेत्र के अनुरूप इस संस्था का नाम सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग (Department of Information Technology & Communication- DoIT&C) कर दिया गया ।

इसी दिशा में वर्ष 1989 ने राज्य सरकार द्वारा राजस्थान स्टेट कम्प्यूटर सर्विसेज़ – राजकॉम्प (Rajasthan State Computer Services- RajComp) नामक उपक्रम की सोसाईटी के रूप में स्थापना की गई। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी और संचार क्षेत्र में प्रशिक्षण, राज्य सरकार के विभागों को तकनीकी परामर्श प्रदान करना एवं परियोजनाओं को क्रियान्वित करना है। सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग एवं राजकॉम्प राज्य सरकार की सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार योजनाओं को क्रियान्वित करते हैं। विभागीय आदेश संख्या प5(119)/सू.प्रौ./विभाग/10/2429 दिनांक 19.10.2010 द्वारा राजकॉम्प का स्वरूप परिवर्तित कर कम्पनी के रूप में राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड स्थापित की गई।

मंत्रिमंडल सचिवालय के आदेश संख्या प027(1)मंमं/2002 दिनांक 13 मई, 2002 द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग के कार्यविधि नियमों में संशोधन किया गया। संशोधित कार्यविधि नियम निम्न प्रकार से है :–

1 राजस्थान में कम्प्यूटरीकरण के लिये नोडल एजेन्सी के रूप में कार्य करना। सरकारी विभागों और संगठनों में कम्प्यूटर, दूरसंचार और आधुनिक कार्यालय उपकरणों के प्रयोग के प्रति जागरूकता पैदा करना, उन्हें प्रोत्साहित करना एवं उनका प्रचार करना।

2 निम्नलिखित को सम्मिलित करते हुए राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी एवं दूरसंचार के विकास और प्रयोग से संबंधित सभी पहलुओं पर नीतियों का निरूपण करनाः

(क) समग्र निर्देश और मार्गदर्शन करना।

(ख) विभागों के कम्प्यूटरीकरण के लिये नीति और उनके क्रियान्वयन को मॉनिटर करना।

(ग) सरकार में प्रयुक्त होने वाली समुचित संचार/नेटवर्क प्रौद्योगिकी की पहचान करना।

(घ) बैंण्ड विड्थ की उपलब्धता और उत्तम गुणवत्तायुक्त ध्वनि तथा आँकडा प्रेषण सुविधाओं का निर्धारण करना।

(ड़) दूरसंचार के प्रसार के लिये, विशेषतया ग्रामीण क्षेत्रों में इन्टरनेट सुविधाओं के लिये नीति बनाना।

(च) राज्य के लिये अपेक्षित दूरसंचार प्रौद्योगिकी के मानकीकरण के लिये नीति बनाना।

(छ) सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार क्षेत्र में विनिमय के प्रयोजनार्थ प्रोत्साहनकारी गतिविधियों के लिये युक्ति तैयार करना।

(ज) स्थानीय भाषाओं में सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग को प्रोत्साहित करना।

(झ) सूचना प्रौद्योगिकी एवं इन्टरनेट सुरक्षा नीति।

(ण) नीति निरूपण एवं क्रियान्वयन के लिए उपर्युक्त संगठनात्मक संरचना सृजित करना, और

(ट) सूचना प्रौद्योगिकी एवं दूरसंचार परियोजनाओं की वित्त घोषणा के लिए नीति बनाना।

3 सरकार की सभी एजेन्सियों द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी एवं दूरसंचार अवसंरचना के सृजन और सुदृढ़ीकरण के मामले में समन्वय करना।

4 निम्नलिखित को सम्मिलित करते हुए इलेक्ट्रानिक गवर्नेन्स का सूत्रपात करना :

(क) राजस्थान राज्य में ई–गवर्नेन्स का समन्वय और समग्र डिज़ाइन ।

(ख) सभी सूचना प्रौद्योगिकी और दूरसंचार परियोजनाओं में सिटिज़न इन्टरफेस को प्रोत्साहित करना।

(ग) राज्य में ई–गवर्नेन्स परियोजनाओं के क्रियान्वयन का परिवेक्षण करना ।

(घ) आँकड़ा संकलन, समेकन और प्रसार के लिए मानक सांकेतिक शब्दों के विकास का समन्वय करना ।

(ड़) सम्पूर्ण राज्य में इन्टरनेट और ई–कामर्स को प्रोत्साहन देना।

(च) उपध्यता (Feasibility) रिपोर्ट की तैयारी के लिए राज्य की एजेन्सीयों को तकनीकी सलाह प्रदान करना।

(छ) व्यवहार अनुकूल और मानक कम्प्यूटर हार्डवेयर अनुप्रयोज्य साफ्टवेयर संचार डिवाइस/प्रोटोकॉल के चयन, उपार्जन, स्थापन और क्रियान्वयन के लिए तकनीकी सलाह देना।

(ज) विभिन्न विभागों में ऑफिस ओटोमेशन का क्रियान्वयन।

(झ) सरकारी विभागों/निधिप्रदत्त एजेन्सियों/बी.ओ.ओ.टी या बी.ओ.ओ. परियोजनाओं द्वारा क्रियान्वित की जाने वाली विभिन्न सूचना प्रौद्योगिकी परियोजनाओं की प्रगति का पुनरावलोकन, और

(ण) सरकारी विभागों के दैनिक प्रशासनिक कार्य के लिए सूचना प्रौद्योगिकी और दूरसंचार के प्रयोग को मॉनीटर करना ।

5 निम्नलिखित को सम्मिलित करते हुए विनिधान को प्रोत्साहन देना

(क) सूचना प्रौद्योगिकी एवं दूरसंचार क्षेत्र मे विनिधान के लिए प्रोत्साहनकारी गतिविधियों के लिए युक्ति तैयार करना।

(ख) राजस्थान में सूचना प्रौद्योगिकी एवं दूरसंचार उद्योग को प्रोत्साहन देना।

(ग) कम्प्यूटरीकरण के लिए नए क्षेत्रों का विकास करना।

(घ) ऐसी नई प्रौद्योगिकी को प्रौत्साहित करना जो जीवन स्तर को उन्नत करें, और

(ड) सूचना प्रौद्योगिकी सामर्थ्ययुक्त सेवाओं को प्रोत्साहन देना।

6 निम्नलिखित को सम्मिलित करते हुए सूचना प्रौद्योगिकी और दूरसंचार अवसंरचना का स्थापना

(क) राजस्थान में सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान का संस्थापन ।

(ख) ग्रामस्तर तक ब्रॉडबैंण्ड डिजिटल संबन्धता के स्थापन को सरल बनाना।

(ग) राज्य में दूरसंचार अवसंरचना के सुधार के लिए डी.ओ.टी./वी.एस.एन.एल./बी.एस.एन.एल. या अन्य सार्वजनिक/निजि क्षेत्र की एजेन्सीयों के साथ समन्वय करना, और

(घ) समुचित संचार/नेटवर्क प्रौद्योगिकीं की पहचान करना और सरकार/उद्योग/सार्वजनिक क्षेत्रों विशेषतया ग्रामीण क्षेत्रों में अनुप्रयुक्त करना।

7 उच्च गुणवत्ता की कम्प्यूटर शिक्षा को प्रोत्साहित करना।

8 कम्प्यूटर और इन्टरनेट के प्रति जागरूकता और उसके प्रयोग को बढ़ाने के लिए पुनश्चर्या

पाठ्यक्रमों (Refresher-Course) / सेमिनारों / कार्यशालाओं / प्रशिक्षणों की व्यवस्था और समन्वय करना। महत्वपूर्ण साहित्यों और नियमावलियों को प्रकाशित करना और उन्हें वितरित करना।

9 सभी सूचना प्रौद्योगिकी एवं दूरसंचार संगठनों का समन्वय यथा एन.आई.सी.इलेक्ट्रानिक साफ्टवेयर प्रयोजन काउन्सिल, नास्कॉम का सूचना प्रौद्योगिकी और संचार से सम्बन्धित भारत सरकार के विभागों के साथ समन्वय।

10 विभाग के नियन्त्रण के अधीन कम्प्यूटर एवं संचार वृतियों की भर्ती और संवर्ग प्रबन्धन।

11 कार्मिक विभाग, सामान्य प्रशासन और वित्त विभाग को आवंटित मामलों से भिन्न सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग के प्रशासनिक नियन्त्रण के अधीन के अधिकारियों और कर्मचारियों से सम्बन्धित स्थापन के समस्त मामले ।

12 प्रशासनिक विभाग की भूमिका में कम्प्यूटर विशेषज्ञों की नियुक्ति एवं संवर्ग व्यवस्था नियंत्रित करना।

- **राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड**

वर्ष 1989 में राज्य सरकार ने राजस्थान स्टेट कम्प्यूटर सर्विसेज़ – राजकॉम्प (Rajasthan State Computer Services- RajComp) नामक उपक्रम की सोसाईटी के रूप में स्थापना की। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य राज्य में सूचना प्राद्योगिकी एवं संचार क्षेत्र में प्रशिक्षण, राज्य सरकार के विभागों को तकनीकी परामर्श प्रदान करना एवं परियोजनाओं को क्रियान्वित करना है। सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग एवं राजकॉम्प राज्य सरकार की सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार योजनाओं को क्रियान्वित करते हैं। विभागीय आदेश संख्या प5(119) / सू.प्रौ. / विभाग / 10 / 2429 दिनांक 19. 10.2010 द्वारा राजकॉम्प का स्वरूप परिवर्तित कर कम्पनी के रूप में राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड (RISL) स्थापित की गई।

- **राजस्थान नॉलेज कारपोरेशन लिमिटेड**

शहरी एवं दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में सूचना प्रौद्योगिकी शिक्षा प्रदान कर डिजिटल डिवाईड़ को मिटाने हेतु राजस्थान नॉलेज कारपोरेशन की स्थापना की गई है। आर. के. सी. एल. का 'RS-CIT' पाठ्यक्रम राजस्थान सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। राज्य सरकार के अनुमोदन के पश्चात् इस पाठ्यक्रम के लिये राज्य कर्मचारियों को शुल्क पुनर्भरण के आदेश जारी किये गये हैं।

2. प्रशासनिक तंत्र

राजस्थान कम्प्यूटर राज्य एवं अधीनस्थ सेवा के अन्तर्गत समस्त संवर्गों का पुनगर्ठन किए जाने के पश्चात राजस्थान कम्प्यूटर राज्य एवं अधीनस्थ सेवा के विभिन्न संवर्गों में विभागीय स्तर पर पदों की स्थिति का विवरण निम्नानुसार है: –

सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग (Overall Cadre Strength)

31 दिसम्बर, 2019

क्र.सं.	पद का नाम	स्वीकृत पद	भरे हुए पद	रिक्त पद
1.	आयुक्त, आई.ए.एस	1	1	0
2.	तकनीकी निदेशक	8	8*	0
3.	अतिरिक्त निदेशक	15	8	7
4.	वित्तीय सलाहकार	1	1	0
5.	सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक)	72	33	39
6.	एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर (उप निदेशक)	160	142**	18
7.	सहायक निदेशक	1	1	0
8.	लेखाधिकारी	1	0	1
9.	प्रोग्रामर	608	372	236
10.	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–I	3	3	0
11.	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II	35	20	15
12.	प्रशासनिक अधिकारी	1	1	0
13.	अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी	4	3	1
14.	कनिष्ठ लेखाकार	4	1	3
15.	निजी सचिव	1	1	0
16.	वरिष्ठ निजी सहायक	1	0	1
17.	निजी सहायक	1	0	1
18.	सहायक प्रोग्रामर	1066	1021	45
19.	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	4	2	2
20.	कनिष्ठ विधि अधिकारी	1	0	1
21.	वरिष्ठ सहायक	7	7	0
22.	सूचना सहायक	6626	4847***	1779©
23.	कनिष्ठ सहायक	53	7	46£
24.	वाहन चालक	2	0	2
25.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	14	7	7
	कुल	**8690**	**6486**	**2204**

* श्री अमित कक्कड, अतिरिक्त मुख्य अभियंता (विद्युत) तकनीकी निदेशक के पद के विरूद्ध कार्यरत है।

** राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर (उप निदेशक) सीधी भर्ती परीक्षा, 2014 के 29 पदों पर आयोजित सीधी भर्ती में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों में से 28 अभ्यर्थियों के नाम अभिस्तावित किये गये तथा सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग के आदेश क्रमांक 79176 दिनांक 18.01.2018, एमएल–1871 दिनांक 19.02.18 एवं 00029 दिनांक 20.04.2018 के द्वारा 23 (21+1+1) अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान की जा चुकी है। शेष 6 पदों में से 3 पदों पर अभ्यर्थियों द्वारा कोर्ट स्टे लिया गया है, 2 पदों पर अदालती स्तर पर कार्यवाही लम्बित है तथा 1 पद राजस्थान लोक सेवा आयोग के स्तर पर लंबित है। रिक्त पदों की गणना 29 अभ्यर्थियों को कार्यरत मानते हुए की गई है।

*** राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा सूचना सहायक सीधी भर्ती परीक्षा, 2018 के 1343 (1302+41MBC) पदों पर आयोजित सीधी भर्ती में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों में से 1252 पदों पर विभागीय आदेश क्रमांकः एमएल–3175 दिनांक 19.08.2019 एवं 21 पदों पर आदेश क्रमांक 06054 दिनांक 23.12.2019 के द्वारा नियुक्ति/पदस्थापन प्रदान किये गये है। 34 अभ्यर्थियों के नाम अभिस्तावित किये गये, जिनको नियुक्ति/पदस्थापन दिये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। 2 अभ्यर्थियों के नियुक्ति आदेश राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर के द्वारा निरस्त किये गये। रिक्त पदों की गणना 1343 अभ्यर्थियों को भर्ती प्रक्रिया के अन्तर्गत रिजर्व मानते हुये की गई है।

£ कनिष्ठ सहायक के दो रिक्त पदों के विरूद्ध राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों की अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम,1996 के अंतर्गत नियुक्ति दिये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

© सूचना सहायक के एक रिक्त पद के विरूद्ध राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों की अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम,1996 के अंतर्गत नियुक्ति दिये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग (मुख्यालय)
स्वीकृत पद/कार्यरत एवं रिक्त पदों की सूची

31 दिसम्बर, 2019

क्र.सं.	पद का नाम	स्वीकृत पद	भरे हुए पद	रिक्त पद
1.	आयुक्त, आई.ए.एस	1	1	0
2.	तकनीकी निदेशक एवं पदेन संयुक्त सचिव	1	1	0
3.	तकनीकी निदेशक	5	5$	0
4.	अतिरिक्त निदेशक	9	5	4
5.	वित्तीय सलाहकार	1	1	0
6.	सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक)	18	13	5
7.	एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर (उप निदेशक)	56	49*	7
8.	सहायक निदेशक	1	1	0
9.	लेखाधिकारी	1	0	1
10.	प्रोग्रामर	39	39**	0
11.	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–।	2	2	0
12.	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–।।	2	2	0
13.	प्रशासनिक अधिकारी	1	1	0
14.	अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी	4	3	1
15.	कनिष्ठ लेखाकार	4	2µ	2
16.	निजी सचिव	1	1	0
17.	वरिष्ठ निजी सहायक	1	0	1
18.	निजी सहायक	1	0	1
19.	सहायक प्रोग्रामर	39	39	0
20.	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	4	2	2
21.	कनिष्ठ विधि अधिकारी	1	0	1
22.	वरिष्ठ सहायक	7	4	3
23.	सूचना सहायक	316	270	46
24.	कनिष्ठ सहायक	19	6	13
25.	वाहन चालक	2	0	2
26.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	13	7	6
	कुल	**549**	**454**	**95**

नोटः-

$ श्री अमित कक्कड, अतिरिक्त मुख्य अभियंता(विद्युत), तकनीकी निदेशक के पद के विरूद्ध कार्यरत है।

* एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर (उप निदेशक) के 09 पदों के विरूद्ध प्रोग्रामर कार्यरत है।

µ कनिष्ठ लेखाकार के एक पद के विरूद्ध सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–।। कार्यरत है।

** विभाग के आदेश क्रमांक 03109/2018 दिनांक 31.08.2018 के द्वारा श्री सौरभ शर्मा, प्रोग्रामर वर्तमान पदस्थापन भामाशाह प्राधिकरण, आयोजना विभाग, जयपुर का वेतन सू.प्रौ.और संचार विभाग में रिक्त प्रोग्रामर पद के विरूद्ध आहरित किया जा रहा है।

- श्री प्रवीण कुमार एवं श्री वासुदेव, एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर (उप निदेशक) क्रमशः दिनांक 02.03.2017 एवं 09.01.2017 से; श्री हेमन्त सत्यावना, श्री पंकज कुमार, श्री नरेन्द्र मीना एवं श्री धर्मेन्द्र कुमार, सूचना सहायक क्रमशः दिनांक 19.09.2013, 30.03.2017, 02.03.2017 एवं 14.02.2019 से निलम्बित चल रहे है।
- श्री सतीश कुमार जंगम एवं श्री अजय कुमार डोयल, एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर (उप निदेशक) को क्रमशः दिनांक 31.12.2019 एवं 18.11.2019 से; श्री जोगिन्दर कौर गम्भीर, प्रोग्रामर को दिनांक 20.12.2019 से; श्रीमती शिखा गुप्ता एवं श्री महेन्द्र कुमार कुमावत, सहायक प्रोग्रामर को क्रमशः दिनांक 13.12.2019 एवं 18.12.2019 से; श्री दीपक कुमार, श्री अखिलेश सोनी, श्री अशोक कुमार खोईवाल, श्रीमती सुमित्रा एवं सुश्री/श्रीमती सुनीता भाटी, सूचना सहायक को क्रमशः दिनांक 11.11.2019, 08.11.2019, 23.12.20119, 11.11.2019 एवं 29.11.2019 से पदस्थापन के आदेशों की प्रतीक्षा में है।

यू.आई.डी. प्रोजेक्ट (U.I.D. Head) 3454-02-203-(01)-[01]-[03]

(31 दिसम्बर, 2019)

क्र.सं.	पद का नाम	स्वीकृत पद	भरे हुए पद (कार्यरत)	रिक्त पद	विशेष विवरण
1.	ओ.एस.डी.	1	1	–	
2.	सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक)	1	1	–	
3.	वरिष्ठ प्रोजेक्ट आफिसर	2	1	1	
4.	प्रोजेक्ट आफिसर	2	2	–	
5.	एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर (उप निदेशक)	1	1	–	
6.	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड– I	1	1	–	
7.	कनिष्ठ सहायक	1	–	1	
8.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	3	–	3	2 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (संविदा पर एजेन्सी के माध्यम से)
	कुल	**12**	**7**	**5**	

कार्यालय एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर (उप निदेशक), सू.प्रौ. और संचार विभाग

(31 दिसम्बर, 2019)

क्र.सं.	पद का नाम	स्वीकृत पद	भरे हुए पद (कार्यरत)
1.	अतिरिक्त निदेशक	2	0
2.	सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक)	31	5*
3.	एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर (उप निदेशक)	33	32**
4.	प्रोग्रामर	33	20
5.	सहायक प्रोग्रामर	33	29***
6.	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II	33	17
7.	सूचना सहायक	231	201$
8.	सहायक कनिष्ठ	33	0

* सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक) के पद के विरूद्व 1 एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर (उप निदेशक) पदस्थापित है।

** एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर (उपनिदेशक) के पद के विरूद्व 1 प्रोग्रामर पदस्थापित है।

*** सहायक प्रोग्रामर के पद के विरूद्व 3 सूचना सहायक पदस्थापित है।

$ सूचना सहायक के पद के विरूद्व 14 सहायक प्रोग्रामर पदस्थापित है।

कार्यालय एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर (उप निदेशक), सू.प्रौ. और संचार विभाग पंचायत समिति

(31 दिसम्बर, 2019)

क्र.सं.	पद का नाम	स्वीकृत पद	भरे हुए पद (कार्यरत)
1.	प्रोग्रामर (ब्लॉक मुख्यालय हेतु)	345	136*
2.	सहायक प्रोग्रामर (ब्लॉक मुख्यालय हेतु)	690	252
3.	सूचना सहायक (पंचायत समिति मुख्यालय हेतु)	1035	943$

* ब्लॉक मुख्यालय पर प्रोग्रामर के 345 पदों के विरूद्ध 110 प्रोग्रामर, 3 सहायक प्रोग्रामर तथा 23 सूचना सहायक पदस्थापित है।

$ कार्यालय आदेश क्रमांक एमएल–4715, एमएल–4716 एवं एमएल–4717 दिनांक 22.01.2019 के द्वारा सूचना सहायक से सहायक प्रोग्रामर के पद पर पदोन्नत कर्मचारियों को पदोन्नति उपरान्त अपने वर्तमान पद पर आगामी पदस्थापन आदेश जारी होने तक अस्थाई रूप से क्रमोन्नत मानते हुए कार्यग्रहण हेतु पदस्थापन आदेश जारी किये गये। अतः पदोन्नत 27 सहायक प्रोग्रामर को सूचना सहायक के पदों पर कार्यरत मानते हुए गणना की गई है।

पुनर्गठन के उपरान्त पंचायत समिति मुख्यालय में सरप्लस हुए सूचना सहायक, सहायक प्रोग्रामर के स्वीकृत पदों के विरूद्ध कार्यरत है।

3. विभाग द्वारा किये गये अभिनव प्रयोग

- **जन सूचना पोर्टल**

जन सूचना पोर्टल–2019 अपनी तरह का पहला ऐसा प्रयास है जिसमें सरकार द्वारा वार्ड/पंचायत में क्रियान्वित सभी योजनाओं की जानकारी एक ही जगह उपलब्ध करवाई जा रही है। यह सूचना के अधिकार, 2005 की धारा 4(2) को क्रियान्वित करता है । "प्रत्येक लोक अधिकारी का निरंतर यह प्रयास होगा कि वह उपधारा (1) के खंड (ख) की अपेक्षाओं के अनुसार, स्वप्रेरणा से, जनता को नियमित अन्तरालों पर सूचना के विभिन्न साधनों के माध्यम से, जिनके अन्तर्गत इंटरनेट भी है, इतनी अधिक सूचना उपलब्ध कराने के लिए उपाय करें जिससे कि जनता को सूचना प्राप्त करने के लिये इस अधिनियम का कम से कम उपयोग लेना पड़े"। सरकार द्वारा क्रियान्वित सभी योजनाओं की जानकारी एक ही जगह उपलब्ध करवाने हेतु विभाग द्वारा जन सूचना पोर्टल बनाया गया है, वर्तमान में 25 विभागों की 49 योजनाओं की 136 प्रकार की जानकारी पोर्टल पर उपलब्ध है।

- **स्टेट डाटा सेन्टर (एस.डी.सी.)**

राजस्थान में आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर और संबंधित सेवाओं को बढ़ावा देने हेतु 600 रेक स्पेस क्षमता वाले राजस्थान स्टेट डाटा सेंटर फेज–4 सर्वर सेवाओं का शुभारम्भ किया गया हैं । स्टेट डाटा सेन्टर विभिन्न सेवाओं की प्रभावी इलेक्ट्रानिक सेवा प्रदान करता है, यह राज्य के विभिन्न विभागों और उद्यमों की सेवाओं/एप्लीकेशन्स को एक कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर पर हॉस्ट करने में सक्षम है। यह भारत का सबसे बड़ा सरकारी स्वामित्व संचालित, नियंत्रित एवं प्रबंधित 99.997% uptime वाला एक मात्र Tier IV डिजाइन प्रमाणित डाटा सेंटर है।

- **राज उद्योग मित्र पोर्टल**

यदि कोई व्यक्ति नये सूक्ष्म, लघु या मध्यम उद्यम (MSME) को शुरू करना या उसे संचालित करना चाहता है, तो उसे एमएसएमई एक्ट 2019 के तहत राज्य में 3 साल तक किसी भी प्रकार की स्वीकृति लेने की आवश्यकता नहीं है । उद्यमी राज उद्योग मित्र पोर्टल पर आधार नंबर के माध्यम से रजिस्टर करके 3 साल तक का स्वीकृति पत्र प्राप्त कर सकता है । 3 साल की अवधि के लिए किसी भी कानून के तहत उसके उद्यम का इंस्पेक्शन नहीं किया जाएगा । इस योजना में मुख्य रूप से उन व्यवसायियों को रजिस्ट्रेशन करने का लाभ प्राप्त होगा, जो कि नये व्यवसाय या स्टार्टअप को शुरू करना चाहते हैं। इस एक्ट का उद्देश्य राज्य में आजीविका, समावेशी आर्थिक विकास और उद्यमिता को बढ़ावा देना है। पोर्टल की अधिकारिक लिंक https://rajudyogmitra.rajasthan.gov.in/ है।

Launch Date: 30-05-2019

Total applications Received : 2499

- **ऋण माफी आवेदन पोर्टल (Loan Waiver Portal)**

सहकारिता विभाग के लिए ऋण माफी हेतु ऑनलाइन पोर्टल का निर्माण किया गया हैं। इस पोर्टल के माध्यम से ऋण माफी हेतु आवेदन एवं अभिप्रमाणन दोनों आधार (UID) आधारित किए गए हैं। साथ ही में किसानों का eKYC के माध्यम से सत्यापन किया गया हैं। इस प्रक्रिया के माध्यम से फर्जी आवेदकों की पहचान हुई है एवं सरकारी खर्चे में कटौती हुई हैं। राजस्थान सरकार के लिए यह पोर्टल बहुत लाभकारी है, इस पोर्टल ने किसानों का एक संेंट्रलाइज डेटाबेस तैयार करने में मदद की हैं । इस डेटाबेस का उपयोग अन्य कृषक हितेषी योजनाएं जैसे प्रधानमंत्री किसान योजना इत्यादि में उपयोग किया जा सकेगा। पोर्टल की अधिकारिक लिंक https://lwa.rajasthan.gov.in है।

Total Farmers Registered: 2,383,621

Total Loan Waiver Amount (Crores) : 8,551.83 crore

- **मीडिया मैनेजमेंट सिस्टम (Media Management System)**

बायोस्कोप पोर्टल पर मीडिया प्रबंधन प्रणाली विकसित की गई हैं । इस पोर्टल पर राज्य भर के जनसंपर्क अधिकारी समस्त समाचार पत्रों की कटिंग मय विवरण अपलोड कर सकते हैं । न्यूज की गुणवत्ता के आधार पर जनसंपर्क अधिकारी अपनी रेटिंग भी प्रदान कर सकते हैं । यह पोर्टल राज्य के विभिन्न समाचार पत्रों की न्यूज को एकत्रित करने में सक्षम हैं, तथा प्राप्त रेटिंग के आधार पर जिला एवं विभागों के कार्यों की समीक्षा की जा सकती है एवं गवर्नेंस में सुधार किया जा सकता है । किसी विशेष न्यूज के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय संबंधित जिला कलेक्टर अथवा विभागाध्यक्ष से वास्तविक वस्तु स्थिति प्राप्त कर समीक्षा कर सकते हैं। इस प्रकार यह पोर्टल मीडिया, प्रशासन एवं सरकार के मध्य जनता की समस्याओं को आगे लाने का एक सशक्त माध्यम है ।

Launch Date: 02-10-2019

Total news published: 14152

- **बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम (BPAS)**

ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को मजबूत करने के लिए ऑनलाइन बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम (BPAS) विकसित किया गया हैं। BPAS एक IT आधारित वर्कफ्लो सिस्टम हैं जो आवेदन जमा करने से लेकर, अनुमति पत्र प्रदान करने तक का कम्पलीट ऑनलाइन समाधान प्रदान करता है। सिस्टम में बिल्डिंग प्लान स्क्रूटनी इंजन शामिल हैं जो पूर्ण स्वचालित तरीके से प्रस्तुत किए गए 2D ड्राइंग/3D मॉडल की भवन निर्माण नियमों के आधार पर जांच रिपोर्ट जारी करता है। एप्लीकेशन को एसएसओ एवं सिंगल विंडो सिस्टम के साथ एकीकृत किया गया हैं, ताकि नागरिकों को एक ही प्लेटफार्म पर पूरा विवरण मिल सके । इस सिस्टम को 14 नगर निकास न्यास एवं 3 विकास प्राधिकरणों में लागू किया गया हैं । संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा ऑनसाइट निरीक्षण के लिए एक मोबाइल ऐप भी विकसित किया गया है।

Total Applications received: 5845

Certificates Issued: 4027

- **भू रूपांतरण प्रणाली (90A)**

ऑनलाइन भूमि रूपांतरण प्रणाली (90A) एक IT आधारित वर्कफ्लो प्रणाली हैं जो 90A ऑर्डर जारी करने से लेकर आवेदन जमा करने तक, पूर्ण ऑनलाइन समाधान प्रदान करती हैं।

एप्लीकेशन को एसएसओ एवं सिंगल विंडो सिस्टम के साथ एकीकृत किया गया है ताकि नागरिकों को एक ही प्लेटफार्म पर पूरा विवरण मिल सके । इस सिस्टम को 14 नगर निकास न्यास एवं 3 विकास प्राधिकरण में लागू किया गया हैं । प्रोजेक्ट का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में IT के प्रभावी उपयोग द्वारा नागरिक सेवाएं प्रदान करने में नगर निकास न्यास एवं विकास प्राधिकरण की दक्षता और पारदर्शिता में सुधार करना है। डैशबोर्ड और एनालिटिकल टूल के माध्यम से सिस्टम की निगरानी और निर्णय लिए जाते हैं।

Total Applications received: 463

Certificates Issued: 85

4. नीतिगत पहल

- **आधार नामांकन (Enrolment), अधिप्रमाणन (Authentication) और आधार समर्थ सेवाओं (Aadhaar Enabled Services) का परिदान-**

जैसा कि अब सर्व–विदित है कि आधार संख्या भारत में निवासियों की पहचान का सर्वाधिक उपयोग में लाया जानेवाला माध्यम बनकर उभरा है विशेषत: जन–कल्याण की योजनाओं के लाभों व सेवाओं के हस्तान्तरण के क्षेत्र में। आधार परियोजना के अन्तर्गत पंजीयन व अधिप्रमाणन की सुविधा निवासियां को प्रदान करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग इस योजना के प्रारम्भ से ही राज्य का अधिकृत पंजीयक है। अभी तक राज्य के 7.04 करोड़ नागरिकों को आधार संख्या प्रदान की जा चुकी है जो कि प्रोजेक्टेड जनसंख्या का लगभग 97 प्रतिशत कवरेज है। इसी कडी में, आने वाले दिनों में विशेष अभियान चलाकर पांच साल से कम उम्र के तथा 5 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों का आधार पंजीयन करवाया जा रहा है।

आधार प्रकोष्ठ द्वारा संचालित आधार अधिप्रमाणन तन्त्र राज्य के विभिन्न विभागों द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के लिए लाभार्थियों तथा अन्य निवासियों के आधार अधिप्रमाणन का कार्य भी बखूबी सम्पादित किया जा रहा है। इस कार्य हेतु यू.आई.डी.ए.आई. के दो डेटा सेन्टरों–हब्बल (बैंगलौर) तथा मानेसर (गुडगाँव) से सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग के डेटा सेन्टर द्वारा सीधा लीज लाईन से कनेक्ट किया हैं। इस तन्त्र द्वारा प्रतिदिन एक लाख से अधिक अधिप्रमाणन (Authentications) किए जा रहे हैं ।

- **राजस्थान स्टार्टअप**

राज्य में स्टार्टअप क्षेत्र को गति प्रदान करने हेतु राज्य सरकार के आदेशों के अन्तर्गत अनेक नवाचारों को लागू किया गया है। आईस्टार्ट पोर्टल (istart.rajasthan.gov.in) स्टार्टअप्स के लिए एक

सिंगल विण्डो की तरह कार्य करता है। इसके अतिरिक्त, चैलेन्ज फोर चेन्ज, राजस्थान स्टैक, क्यूरेट रैंकिंग सिस्टम, इनक्यूबेटर, आईस्टार्ट नेस्ट (जयपुर, कोटा एवं उदयपुर) भी राज्य के स्टार्टअप्स को उपलब्ध कराए गए हैं। आई–स्टार्ट, चैलेंज फॉर चेंज तथा राजस्थान स्टैक जैसी परियोजनाओं के अतिरिक्त Start-ups को अपने प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए सरकार की ओर से जयपुर, उदयपुर एवं कोटा में निःशुल्क plug and play सुविधा युक्त incubation centre, "iStart Nest" क्रियाशील हैं। जोधपुर में Incubation Center शीघ्र ही तैयार कर क्रियाशील कर दिया जायेगा।

5. सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की महत्वपूर्ण परियोजनाऐं

- **राजस्थान सम्पर्क**

राजस्थान संपर्क पोर्टल आमजन को विभिन्न प्रकार की शिकायतों को दर्ज करने एवं उनकी समाधान प्रक्रिया की ट्रैकिंग के लिए एक एकीकृत मंच प्रदान करता है। साथ ही, विभागीय अधिकारीयों को आमजन द्वारा दर्ज की गयी शिकायतों के समाधान हेतु माध्यम प्रदान करता है। शिकायत दर्ज करने एवं उनकी वास्तविक समय स्थिति की ट्रैकिंग की सुविधाओं के कई माध्यमों के साथ यह सार्वजनिक शिकायत निवारण प्रणाली का एक अभिन्न अंग बन गया है। प्रणाली में 52 लाख से अधिक शिकायतें दर्ज की गई हैं और 50 लाख से अधिक शिकायतों का निस्तारण किया गया है। जिला स्तर पर विषयों और अधिकारियों को जोड़ने की विकेंद्रीकृत प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है।

सभी विभागों के लिए जिला स्तर पर शिकायत निवारण प्रक्रिया की निगरानी की नई प्रक्रिया प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा शुरू की गई है। कलेक्टर एवं विभागाधिकारीयों को, शिकायतों को अन्य विभागों में स्थानांतरित करने और किसी भी शिकायत को उनके संबंधित जिलों के दायरे में पुनः कार्यवाही का अधिकार दिया गया है। जिलेवार एवं विभागवार निगरानी को सक्षम बनाने के लिए विश्लेषणात्मक डैशबोर्ड लॉन्च किए गए हैं जो विभिन्न मापदंडों पर संबंधित जिलों के शिकायतों के समाधान से सम्बंधित प्रदर्शन और रैंकिंग को दर्शाते हैं। टोल–फ्री नंबर 181 पर काल करके आमजन अपनी शिकायतें दर्ज करवा सकता है तथा शिकायतों के समाधान की वास्तविक स्तिथि जान सकता हैं । लिंक www.sampark.rajasthan.gov.in

- **नागरिक सम्पर्क केन्द्र (Citizen Contact Centre)**

नागरिक सम्पर्क केन्द्र के माध्यम से टोल फ्री नंबर 1800–180–6127 पर राजस्थान सरकार के समस्त विभागों से जुडी जानकारी प्राप्त कर सकते है तथा राजस्थान सम्पर्क के अन्तर्गत जनसमस्या दर्ज करा जानकारी प्राप्त कर सकते है। सेंटर प्रतिदिन प्रातः 6 बजे से रात्रि 12 बजे तक कार्य करता है। बिजली, पानी, जेडीए, चिकित्सा, मनरेगा, वाणिज्यिक कर और कृषि के कॉल सेंटर के अलावा राज्य के अन्य मुख्य विभाग भी CCC से Integrated हैं। प्रतिदिन लगभग 50000 से अधिक कॉल, CCC के माध्यम से प्राप्त किये जा रहे हैं। iFact एप्लीकेशन के द्वारा राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं एवं आधारभूत सुविधाओं जैसे पानी, बिजली, सड़क इत्यादि के संबंध में ग्राम पंचायतवार Reality Check Campaign भी किया जा रहा है।

- **विडियोवॉल**

राज्य की प्रत्येक पंचायत समिति स्तर तक के आमजन/निवासियों के लिए, विभिन्न सरकारी नवाचारों, विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं और लाइव ईवेन्ट्स की ऑडियो– वीडियो स्ट्रीमिंग का प्रसारण करने के लिए वीडियोवॉल की स्थापना की गई है। इन विडियों वॉल पर स्वतःचालित सूचनायें समय–समय पर प्रसारित होती है तथा कार्यक्रमों का दृश्य–श्रव्य प्रसारण (Live Webcast) होता है।

- **राजवीसी**

राज वीसी परियोजना के अंतर्गत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा प्रदान की जा रही है। वर्तमान में 380 से अधिक पूर्णतया सुसज्जित वीसी स्टूडियो कार्यरत हैं। नगर निगम स्तर पर भी नए वीसी स्टूडियो स्थापित किए जा रहे हैं। राज्य के जिला एवं ब्लाक मुख्यालयों तथा अन्य विभागीय कार्यालयों में अतिरिक्त वीसी आवश्यकताओं को देखते हुए, 100 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम तथा संभागीय मुख्यालयों एवं डीआर साइट पर 8 टेली–प्रेजेंस रूम हेतु वीसी परियोजना का निष्पादन किया जा चुका है। नागरिकों तक पहुँच बनाने के लिए एक सॉफ्टवेयर आधारित वीसी तंत्र पहले ही विकसित किया जा चुका है, जिसे सम्पूर्ण राजस्थान में व्यापक स्तर पर (लगभग 1500 से अधिक वीसी सत्र प्रति माह) उपयोग किया जा रहा है। सोफ्टवेयर आधारित वी.सी. तंत्र का उपयोग, मुख्यतः उन ग्राम पंचायतों पर राजनेट के माध्यम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा प्रदान करने के लिए किया जाता है जहां बैंडविड्थ कम है ।

- **राजनेट**

ग्रामीण राजस्थान के जीवन को बेहतर बनाने के लिए राजनेट परियोजना के अंतर्गत, 9891 ग्राम पंचायतों को, हाई बैंडविड्थ कनेक्टिविटी द्वारा जोड़ा गया है, जिसके माध्यम से ई–मित्र, ई–मित्र प्लस, आई पी टेलीफोनी, वाई फाई सेवा, SCADA, बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट सुविधाएं, एटीएम आदि जैसे G2C सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। राज्य में प्रतिदिन सुशासन सुनिश्चित करने हेतु 17,000 से अधिक आईपी फोन्स, ग्राम पंचायत स्तर के कार्यालयों में लगाए गए हैं।

- **राज वाई-फाई**

राजस्थान सरकार द्वारा ग्राम पंचायत स्तर तक राज वाईफाई परियोजना के अंतर्गत वाईफाई कनेक्टिविटी मुफ्त उपलब्ध करवाई जा रही हैं, जिसके बैंडविड्थ उपभोग पर कोई सीमा लागू नहीं हैं । लगभग 12000 से अधिक वाईफाई हॉटस्पॉट्स को 55,000 से ज्यादा उपभोक्ताओं हेतु स्थापित किया गया है जो कि प्रतिमाह अनुमानित 10 टीबी डेटा का उपभोग करते हैं। राज्य, जिला एवं ब्लाक मुख्यालयों के सरकारी परिसर में भी वाईफाई कनेक्टिविटी प्रदान की गई है।

- **राजस्वान**

राजस्वान परियोजना के अंतर्गत, 3700 से अधिक सरकारी इमारतों पर उच्च बैंडविड्थ और थ्रूपुट की कनेक्टिविटी उपलब्ध करवाई गयी है, जिसमें 5000 से अधिक सरकारी कार्यालय कैप्टिव ऑप्टिकल फाइबर केबल (ओएफसी), प्वाइंट टू प्वाइंट (पी2पी) एवं मल्टी प्रोटोकॉल लेबल स्वीचिंग (एमपीएलएस) आदि माध्यमों द्वारा जोड़े गए हैं। इन कार्यालयों में वर्तमान में गर्वमेंट टू गर्वमेंट (G2G) और गर्वमेंट टू कन्ज्यूमर (G2C) सेवाएं देने के लिए 20,000 से अधिक उपयोगकर्त्ता हैं। विश्वसनीय कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए, 2000 किमी. से अधिक लम्बाई की कैप्टिव ओएफसी बिछायी जा चुकी है। लगभग 3000 से अधिक कार्यालय, जिसमें से 1410 लाइव हैं, और कमांड एंड कंट्रोल सेंटर परियोजना के अंतर्गत 1200 से अधिक कैमरे, ओएफसी के माध्यम से जोड़ें गये हैं।

- **ई-मित्र**

राज्य मे लगभग 70,000 से अधिक ई–मित्र कियोस्क (लगभग 45,000 ग्रामीण क्षेत्र मे एवं 25,000 शहरी क्षेत्र में) के माध्यम से आम जन को सरकारी/गैर–सरकारी क्षैत्र की 450 से अधिक नागरिकोंमुखी सेवाएं प्रभावशाली एवं पारदर्शी प्रणाली से घर के नजदीक उपलब्ध करवाई जा रही है। आम जन द्वारा ई–मित्र की सेवाए ई–मित्र

किओस्क, मोबाइल एप, ऑनलाइन पोर्टल एवं ई–मित्र प्लस मशीन के माध्यम से भी प्राप्त की जा रही हैं ।

- **ई-मित्र प्लस**

ई–मित्र प्लस, ई–सेवा प्रदान करने में एक क्रान्तिकारी कदम है। मानवरहित स्वयंसेवी ई–मित्र प्लस कियोस्कों को सरकारी कार्यालयों/संगठनों/सार्वजनिक स्थानों एवं साथ ही गैर सरकारी स्थानों पर स्थापित किया गया है। ई–मित्र प्लस भारत में अपनी तरह का पहला कियोस्क है। इन पर नकद, डेबिट/क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग जैसी भुगतान की कई सुविधाएं हैं और बायोमेट्रिक के माध्यम से सभी सरकारी सेवाएं जैसे बिल आदि का भुगतान भी कर सकते है। इन स्वचालित कियोस्कों से विभिन्न प्रमाण पत्र, ई–कार्ड (आधार, जन–आधार), पी.वी.सी. कार्ड पर आधार प्रिंट आदि कि सुविधाए उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत स्तर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा, जन सुनवाई, सरकारी योजनाओं का प्रचार–प्रसार एवं राजकीय कार्यक्रमों का सीधा प्रसारण आदि सुविधाए उपलब्ध है। वर्तमान में 13,961 ई–मित्र प्लस कियोस्क ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में स्थापित हैं।

- **राज-पेमेंट**

राजस्थान पेमेंट प्लेटफार्म (RPP) राज्य सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/सरकारी विभागों के लिए भुगतान संबंधित सुविधा है, जिसे भुगतान सेवा हेतु संग्रहण एवं वितरण के लिए किसी भी संगठन द्वारा प्लग–इन कर उपयोग किया जा सकता है। राजस्थान पेमेंट गेटवे बैंक, मोबाईल वॉलेट, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI एवं भारत QR को आसान तरीके से पेमेंट करने के लिए जोडता है। उपयोगकर्ता संबंधित विभागों को कर, बिल, शुल्क आदि का भुगतान इस प्लेटफॉर्म के द्वारा किसी भी माध्यम से कर सकते है।

- **राज ई-साईन (Raj E-Sign)**

प्रदेश के नागरिकों को आधार आधारित एकीकृत इलेक्ट्रोनिक हस्ताक्षर की सुविधा निशुल्क उपलब्ध करवाई गई हैं । राज्य सरकार के उपक्रम RISL को Controller of Certifying Authorities, Government of India द्वारा 19 सितम्बर 2019 को Certifying Authority घोषित कर दिया है। अब RISL के माध्यम से राज्य के नागरिको, अधिकारी एवं कर्मचारियो को डिजीटल सिग्नेचर एवं ई–साईन जैसी सुविधाएं दी जाने लगी है। ई–साईन प्राजेक्ट कागज रहित पारदर्शी

सरकार की तरफ एक बडा कदम है। इस प्रोजेक्ट के लागू होने से राज्य के राजस्व मे भारी बचत होगी।

- **स्टेट पोर्टल**

यह पोर्टल नागरिकों, राजकीय उपयोगर्ताओं, व्यवसायियों और विदेशी नागरिकों के लिए सरकारी सेवाओं की जानकारी/ व्यवहार का एकल स्त्रोत है। इसके साथ सभी सरकारी विभागों के वेब पोर्टल जोड़े जा रहे है एवं इस पोर्टल पर विभिन्न योजनाओं के तहत लेन–देन का ब्यौरा भी उपलब्ध रहता है।

- **एकीकृत सरकारी पोर्टल**

वेबसाईट/पोर्टल/वेब एप्लीकेशन की आसान उपलब्धता पहुँच एवं उत्तरदायी बनाने के लिये समस्त सरकारी पोर्टल का मानकीकरण किया जा रहा है। सभी सरकारी पोर्टल सभी कम्प्यूटर, लेपटॉप, आई पैड, मोबाइल इत्यादि पर क्रियाशील होंगे एवं इन सभी पोर्टलों के लिये मोबाईल एप्लीकेशन भी उपलब्ध होगी। इसके अन्तर्गत समस्त जिलों की वेबसाईट, डीआईपीआर, ऊर्जा विभाग का पोर्टल, उद्योग विभाग का पोर्टल, पर्यावरण पोर्टल, अरबन पोर्टल, एजुकेशन पोर्टल, परिवहन पोर्टल, कानून एवं न्याय पोर्टल, पर्यावरण पोर्टल, भू राजस्व पोर्टल, माइनॉरिटी विभाग का पोर्टल, पीएचडी जल पोर्टल, आयोजना पोर्टल, आईटी स्टार्टअप वेबसाईट, राज्य सूचना आयोग, महिला आयोग, राज्य वित्त आयोग, एवं अन्य कई का निर्माण किया गया है। सभी पोर्टल एवं वेबसाइटों में सुरक्षा की दृष्टि से एस.एस.एल. सर्टिफिकेट, विशेष योग्यजन के लिए सुलभ का प्रावधान किया गया है।

- **ई-संचार एवं आई- फैक्ट**

ई–संचार एप्लीकेशन के माध्यम से ई–गवर्नेंस परियोजनाओं को जनसाधारण एवं विभागीय कर्मचारियों को विभिन्न सूचनाएँ व अलर्ट एस.एम.एस. एवं वॉइस् कॉल के माध्यम से भेजने की सुविधा उपलब्ध करवाता है तथा आम जन से एस.एम.एस. के माध्यम से प्राप्त सूचनाओं/संदेशों को परियोजनाओं को उपलब्ध करवाता है । इसे वेब आधारित ए.पी.आई. के माध्यम से किसी भी विभागीय एप्लीकेशन के साथ एकीकृत किया जा सकता हैं । आई–फेक्ट एप्लीकेशन का उपयोग

किसी भी विभागीय योजना/परियोजना हेतु आई.वी.आर.एस. के माध्यम से आम–जन के बीच सर्वे करने हेतु किया जा सकता है ।

- **राज्य मास्टर केन्द्रीयकृत डाटा हब**

यह हब विभिन्न विभागों की एप्लीकेशन की आवश्यकतानुसार हर प्रकार का मास्टर डाटा उपलब्ध करवाता है। इस हब के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार के मास्टर डाटा जैसे भौगोलिक वर्गीकरण विभिन्न प्रकार के आंकडे जो विभागीय एप्लीकेशन में प्रयुक्त होते है, सभी उपलब्ध है। डाटा हब विभागीय ऐप्लीकेशन्स को वेब सर्विसेज के माध्यम से मास्टर डाटा उपलब्ध करवाता है। इससे विभागीय ऐप्लीकेशन्स मे मास्टर डाटा के इंटीग्रेशन मे समय और धन की बचत होती है।

- **राज-काज (इन्टीग्रेटेड राज ई- ऑफिस)**

राज्य सरकार के सभी राजकीय विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/बोर्ड/कॉरपोरेशन इत्यादि में समस्त विभागीय रिकार्ड ऑनलाईन करते हुए कर्मचारियों/अधिकारियों के हित में राज–काज (इन्टीग्रेटेड राज ई– ऑफिस) परियोजना प्रारम्भ की गई है। इसमें निम्नलिखित मॉडूयल का क्रियान्वयन प्राथमिकता से किया जा रहा है।

- अवकाश प्रबंधन (Leave Management)
- वार्षिक कार्य मूल्यांकन (Performance Appraisal Report)
- अनापत्ति प्रमाण पत्र (No Objection Certificate)
- मीटिंग मैनेजमेन्ट (Meeting Management)
- डाक एवं फाईल मैनेजमेन्ट (Dak and File Management)
- स्टोर प्रबंधन (Store Management)
- अचल संपत्ति विवरण (Immovable Property Return)

वर्तमान में साफ्टवेयर में लगभग 50 विभागों के लगभग 29000 कार्यालयों तथा लगभग 250000 अधिकारी/कर्मचारी मैप किये जा चुके हैं ।

- **राज ई-वॉल्ट**

राज ई–वॉल्ट के माध्यम से राजस्थान प्रदेश के नागरिकों को अपने दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक रूप से सुरक्षित रखने की सुविधा दी जा रही है । यह आधिकारिक दस्तावेजों (प्रमाणपत्रों) के साथ–साथ नागरिक के व्यक्तिगत दस्तावेज को सुरक्षित रखने के लिए सुरक्षित पोर्टल है। इस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य कागजी कार्रवाई की आवश्यकता को कम करना और अपने प्रमाण पत्र / दस्तावेजों की नागरिकों तक ऑनलाइन पहुंच प्रदान करना है।

राज ई–वॉल्ट 20 से अधिक विभागों द्वारा नागरिकों को जारी किए गए प्रमाणपत्रों को संग्रहीत करने के लिए सेवाएं प्रदान कर रहा है। विभागों / संस्थानों द्वारा जारी किए गए प्रमाणपत्रों में जन्म प्रमाण पत्र से लेकर स्नातक प्रमाणपत्र तक के विभिन्न दस्तावेज और प्रमाण पत्र शामिल हैं। दस्तावेजों को डिजिटल रूप से eSign करने के लिए Raj eSign और Aadhaar एप्लिकेशन के साथ राज ई–वॉल्ट को एकीकृत किया गया है।

- **सिंगल साईन ऑन (SSO)**

सिंगल साईन ऑन की सहायता से विभिन्न विभागों की सेवाओं को प्राप्त करने के लिए एक यूजर नेम एवं पासवर्ड की आवयकता होती है, जो की सिंगल साइन ऑन (sso.rajasthan.gov.in) पर उपलब्ध है, जिसके फलस्वरूप अलग–अलग यूजर नेम और पासवर्ड याद रखने की जरूरत नहीं होगी। सुविधा के अन्तर्गत सरकारी अधिकारियों, ई–मित्र संचालकों, निवेशकों एवं नागरिकों के लिये यह सुविधा उपलब्ध करवायी गयी है। इस सुविधा के माध्यम से Single Window की सुविधा भी उपलब्ध करवाई जा रही है, जिसके अंतर्गत लगभग 158 लाख SSO ID, 179 G2G एवं 118 G2B/G2C application उपलब्ध करवाई गयी हैं।

- **राज मेल**

राजस्थान सरकार द्वारा जनता के लिए हिंदी में ई–मेल आई.डी. की सुविधा प्रारंभ की गयी जिससे जनता के लिए अंग्रेजी भाषा ई–मेल इलेक्ट्रॉनिक संचार का उपयोग करने में बाधा ना बने।

यह सेवा ई–शासन के प्रति लोगों की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करेगी ओर अधिकतम स्थानीय भाषाओं में उपलब्ध है। राजस्थान सरकार अपने निवासियों को हिंदी में ई–मेल आई.डी. की सुविधा उपलब्ध कराने वाला देश का एकमात्र राज्य है। इसके अंतर्गत लगभग 49 लाख ई–मेल आई.डी. उपलब्ध करवाई गयी हैं ।

- **भौगोलिक सूचना तंत्र (जी.आई.एस.)**

जी.आई.एस. आधारित डिसीजन सपोर्ट सिस्टम स्थापित किया गया है जिसमें विभिन्न विभागों द्वारा चलायी जा रही 38 जी.आई.एस. बेस्ड एप्लीकेशन्स को होस्ट किया गया है। जयपुर के

डाक, प्रतिबिम्ब इत्यादि) को एकत्र कर रखा जाता है, एवं इसी डाटा को विश्लेषण एवं ग्राफिकल प्रस्तुतिकरण हेतु उपयोग किया जाता हैं। सरकार के विभागों की कार्य प्रणाली की दक्षता बढ़ाने के लिये अत्याधुनिक Big Data तकनीक से लैस Analytic System का विकास किया गया है। राजस्व विभागों यथा वाणिज्यिक कर, परिवहन, आबकारी, पंजीयन एवं मुद्रांक, खान एवं भूविज्ञान विभाग में Fraud Detection Framework लागू कर दिया गया हैं। इससे कर अपवंचन की पहचान करने में एवं कराधार बढ़ाकर राजस्व सृजन में सहायता मिलती हैं ।

इसके अतिरिक्त, परियोजना में अन्य विभागों यथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, पुलिस, प्रशासनिक सुधार इत्यादि के Dashboards बनाये गए हैं । विभिन्न समाचार पत्रों के इलेक्ट्रॉनिक संस्करणों में प्रकाशित ख़बरों का विश्लेषण एवं वर्गीकरण स्वतः रूप से प्रतिदिन किया जा रहा हैं । जिससे साक्ष्य आधारित निर्णय लेने में एवं नीति निर्धारण में मदद मिलती हैं । उपलब्ध डेटा पर आधारित मुख्य निष्पादन संकेतकों (KPIs) के माध्यम से विभागों, परियोजनाओं, जिलों की दक्षता के मूल्यांकन का कार्य भी इस परियोजना के अंतर्गत किया जाता हैं ।

- **सिक्योरिटी ऑपरेशन सेन्टर** (SOC)

राजस्थान सिक्योरिटी ऑपरेशन सेन्टर, राजस्थान स्टेट डेटा सेन्टर में उपलब्ध सभी विभागों की ऑनलाइन ऐप्लीकेशन एवं सेवाओं को साइबर अटैक्स से सुरक्षा प्रदान करता हैं ।

6. मानव संसाधन विकास

- **सरकारी कार्यालयों में क्षमता निर्माण**

मानव संसाधन विकास विभिन्न विभागों में किये जा रहे कम्प्यूटरीकरण की सफलता सुनिश्चित करने के लिये कम्प्यूटर में दक्ष मानव संसाधन का विकास अतिआवश्यक हैं। इसके लिये विभाग द्वारा सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों को समय–समय पर प्रशिक्षित किया जाता हैं।

- **इन्दिरा गांधी मुक्त राष्ट्रीय विश्वविद्यालय**

सरकारी क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी क्षमता के विकास के लिए राजस्थान सरकार ने दिशा निर्देश जारी किये हैं जिसके अनुसार जो सरकारी कर्मचारी इन्दिरा गांधी मुक्त राष्ट्रीय विश्वविद्यालय द्वारा एम.सी.ए., बी.सी.ए. एवं सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम पूर्ण कर लेता है उसका नियमुनसार शुल्क पुनर्भरण किया जाता है।

लिए 3–डी जी.आई.एस. मॉडल का कार्य आरम्भ किया गया है। 3–डी सिटी प्लेटफॉर्म को डाटा सेन्टर में स्थापित कया गया है।

- **राजबॉट (Rajbot)**

राज्य सरकार के साथ नागरिकों के संवाद को बेहतर एवं प्रभावशाली करने के लिए एक प्लेटफॉर्म की स्थापना हेतु इस परियोजना की परिकल्पना की गई है। सरकार के साथ नागरिकों के संवाद के अनुभव को बेहतर करने हेतु रोबोट्स को नागरिकों के साथ मानवीय तरीके से वास्तविक समय में सहज एवं संवादात्मक वार्तालाप करने के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। यह कृत्रित बुद्धिमत्ता पर आधारित प्रोग्राम हैं जिसके तहत नागरिकों के प्रश्नों का उत्तर "चैट बॉट (राज बॉट)" द्वारा हूबहू मानव की तरह लिखकर दिया जाता हैं ।

- **रोबोटिक्स (Robotics)**

इलेक्ट्रोनिक माध्यम से संचालित रोबोट विभिन्न आवश्यक स्थानों पर मानव की तरह सहजता से प्रश्नों के उत्तर और मार्गदर्शन कर सकते हैं । रोबोटिक्स तकनीक के माध्यम से आमजन तक राज्य की विभिन्न परियोजनाओं की जानकारी उपलब्ध करवाई जाती हैं। ह्यूमनॅाइड रोबोट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (ए.आई) पर कार्य करता है तथा 19 विभिन्न देशी विदेशी भाषाओं को समझकर बात कर सकता है। यह रोबोट्स वॉईस इंटरेक्सन पर भी काम करते है।

- **आधार डेटा वॉल्ट**

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) के निर्देशानुसार आधार नम्बर व उससे संबंधित सूचनाएं सुरक्षित डेटा वॉल्ट बनाकर उसमें रखना अनिवार्य है। विभाग ने इसके लिए केन्द्रीकृत आधार डाटा वॉल्ट का निर्माण कर लिया है। इसके अलावा सभी विभागीय डेटाबेस जहाँ आधार नम्बर विद्यमान है, उन सभी ऐप्लीकेशन्स में आधार डेटा वॉल्ट का निर्माण समयबद्ध तरीके से किया जा रहा है।

- **राज सेवा द्वार (Raj Sewa Dawar)**

राज सेवा द्वार राजस्थान ई–गवर्नेंस फ्रेमवर्क के कार्यान्वयन का हिस्सा हैं, तथा सभी एप्लिकेशन कनेक्टिविटी के लिए एक केंद्रीकृत मिडलवेयर एंटरप्राइज सर्विस बस हैं। राज सेवा द्वार डिजिटल सेवाओं की केन्द्रीकृत प्रणाली जिसके अन्तर्गत सरकारी एवं गैर सरकारी डिजिटल एप्लीकेशन सेवाऐं एक दूसरे से साझा की जाती हैं ।

- **डाटा एनालिटिक्स एवं बिग डाटा क्लस्टर**

बिग डाटा के अन्तर्गत विभिन्न विभागों एवं परियोजनाओं के व्यवस्थित/अव्यवस्थित डेटा (दृश्य,

- **राजस्थान नॉलेज कारपोरेशन**

शहरी एवं दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में सूचना प्रोद्यौगिकी शिक्षा प्रदान कर डिजीटल डिवाईड़ को मिटाने हेतु स्थापित राजस्थान नॉलेज कारपोरेशन का 'RS-CIT' पाठ्यक्रम राजस्थान सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। राज्य सरकार के अनुमोदन के पश्चात् इस पाठ्यक्रम के लिये राज्य कर्मचारियों को शुल्क पुनर्भरण के आदेश जारी कर दिये गये हैं। साथ ही नागरिकों को भी 'RS-CIT' पाठ्यक्रम के प्रशिक्षण उपरान्त वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,कोटा द्वारा परीक्षा ली जाती है एवं उत्तीर्ण प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाण पत्र दिया जाता है। इसके माध्यम सें लगभग 6305 ITGK खोले गये हैं जिनमें लगभग 52 लाख प्रशिक्षणार्थीयों को प्रशिक्षित किया गया हैं । जनवरी 2019 से लगभग 410 नए ज्ञान केन्द्र खोले गये हैं तथा लगभग 5.20 लाख प्रशिक्षणार्थीयों को प्रशिक्षित किया गया हैं ।

7. अन्य विभाग की महत्वपूर्ण परियोजनाओं को तकनीकी सहायता

- **वाइल्डलाइफ सर्विलांस एंड एंटी-पॉचिंग सिस्टम (WS&APS)**

वाइल्डलाइफ सर्विलांस एंड एंटी–पॉचिंग सिस्टम (WS&APS) की अवधारणा और वास्तुशिल्प डिजाइन रणथंभौर टाइगर रिजर्व, सरिस्का टाइगर रिजर्वए मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व, जवाईबाग तेंदुआ संरक्षण रिजर्व, और झालाना नेचर पार्क जैसे वन्य संरक्षित क्षेत्रों के लिए एक एकीकृत सॉफ्टवेयर आधारित निगरानी समाधान है जो उच्च अंत थर्मल/ऑप्टिकल कैमरें, पॉइंट टू वायरलेस नेटवर्क और संचार उपकरण, सौर ऊर्जा प्रणाली, ड्रोन आदि से लैस है।

- **ई-बाजार**

राजस्थान सरकार की नीति के अनुसरण में ऑनलाइन विपणन में प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढावा देने के उद्धेश्य से सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग द्वारा प्रशासनिक एवं नागरिक कल्याण हेतु राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड के सहयोग से एक एकल ई–व्यापार ऑनलाईन स्टोर विकसित किया गया है। जो कि http://ebazaar.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।

ई–बाजार के माध्यम से नागरिको एवं हितकारको के हित में राजस्थान सरकार द्वारा ई–कॉमर्स के माध्यम से विभिन्न उत्पादों को एक ही जगह उपलब्ध करवाना हैं।

वर्तमान में ई–बाजार पर निम्नांकित विक्रेताओ के विभिन्न उत्पाद उपलब्ध करवाये जा रहे हैः–

1. Energy Efficiency Services Limited
2. Gramya Khadi Handicraft Emporium
3. MMTC Limited
4. Rajasthali Handicraft Emporium
5. Rajasthan Rajya Sahakari Uta Sangh Confed
6. Ajmer Sahakari Upbhokta Wholesale Bhandar Ltd.
7. Sri Ganganagar Sahkari Upbhokta Wholesale Bhandar Ltd.
8. Village Forest Management Committee, Udaipur
9. Frontier Markets Pvt. Ltd.
10. Jaipur Printers Pvt. Ltd.
11. Reliance Retail Limited
12. Department of IT&C – UIDAI Project
13. Alankit Limited
14. Aksh Optifibre Ltd.

- **वन विभाग और निर्णय सहायता प्रणाली (FMDSS)**

वन विभाग और निर्णय सहायता प्रणाली के द्वारा एकल एकीकृत वेब आधारित प्रबंधन और निगरानी प्रणाली की सुविधा प्रदान की जाती हैं । इस पोर्टल के माध्यम से आम नागरिक को विभिन्न ऑनलाइन सेवाएं जैसे– वन्यजीव अभयारण्यों, चिड़ियाघर, राष्ट्रीय उद्यानों आदि के लिए टिकट बुकिंग एवं खनन, लकड़ी कटाई, बिजली की लाइनें, सड़क आदि के लिए नॉन–फारेस्ट लैंड के लिए क्लीयरेंस और एनओसी प्राप्त करने की सुविधा प्रदान की जा रही हैं । इस पोर्टल के माध्यम से वन अपराधों, शिकायतों आदि के लिए परिवाद को पंजीकृत करना और वन उपज की नीलामी जैसे बांस, तेंदूपत्ता आदि के बारे में जानकारी प्रदान की जा रही हैं ।

- **आरटीआई पोर्टल**

आरटीआई पोर्टल सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अनिवार्य जानकारी और सेवाओं के लिए एकल बिंदु पहुँच प्रदान करने के उद्देश्य से विकसित किया गया हैं । इस पोर्टल द्वारा विभागीय

उपयोगकर्ता आवेदन और अपीलों का संधारण कर सकते हैं । इस पोर्टल का उद्देश्य राजस्थान सरकार के कार्यालयों और नागरिकों के बीच सूचना के प्रसार के लिए एक सेतु के रूप में काम करना है । लिंक: http://rti.rajasthan.gov.in

- **एसआईएमएस पोर्टल (SIMS: Sales and Inventory Management System)**

सेल्स एंड इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम (SIMS), एक सॉफ्टवेयर–आधारित व्यावसायिक समाधान है जिसका उपयोग बिक्री गतिविधि और इन्वेंट्री को एक साथ संधारित व ट्रेक करने के लिए किया जाता है। यह साफ्टवेयर निर्माता और व्यापार पुनर्विक्रेता को एक साथ लाभान्वित करने हेतु बनाया गया है।

प्रोजेक्ट के उद्धेश्य :-

a) SIMS को ई–बाजार प्रोजेक्ट के अंतर्गत उसके विक्रेता साझेदारो व अन्य सरकारी विभागो को व्यवसायिक समाधान प्रदान करने के लिए विकसित किया गया है।

b) प्रोजेक्ट का उद्देश्य किसी स्टोर / विभाग के लिए एक ऑनलाईन सेल्स एंड इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम उपलब्ध करवाना है।

- **कमाण्ड एण्ड कन्ट्रोल सेन्टर (अभय)**

जी.पी.एस. तथा सी.सी.टी.वी. कैमरा आधारित सुरक्षा के एकीकृत समाधान हेतु राज्य के 7 संभागीय मुख्यालयों सहित 28 जिलों (अजमेर, अलवर, बांसवाडा, बांरा, बाड़मेर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर, बूंदी, दौसा, धौलपुर, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, जयपुर, जोधपुर, जालौर, जैसलमेर, करौली, कोटा, नागौर, पाली, प्रतापगढ़, सीकर, सिरोही, श्री गंगानगर, टोंक, उदयपुर एवं झुंझुनू) में कमांड और कंट्रोल सेंटर स्थापित किए गए हैं। शेष जिलों में कार्य प्रगति पर हैं। इस प्रोजेक्ट के अन्तर्गत निम्न घटक सम्मिलित हैं:–

- वीडियो निगरानी तंत्र
- डायल 100 नियंत्रण तंत्र
- फोरेंसिक अनुसंधान प्रणाली
- कुशल यातायात प्रबन्धन तंत्र
- वाहन ट्रेकिंग तंत्र
- भौगोलिक सूचना तंत्र

- **एकीकृत भर्ती पोर्टल (Rajasthan Recruitment Portal)**

राजस्थान एकीकृत भर्ती पोर्टल के माध्यम से, राजस्थान, भारत या विदेश से सभी उम्मीदवार ऑनलाईन / ई–मित्र कियोस्क के द्वारा विभिन्न राज्य स्तरीय सरकारी भर्तियों के लिए आवेदन कर सकते हैं।

इस पोर्टल के माध्यम से सभी विभाग अपने स्तर पर भर्तियों को प्रकाशित कर सकते हैं तथा भरे गये एप्लीकेशन फॉर्म एवं भर्ती से संबंधित सभी प्रकार के आंकडें अपने Login में देख सकते हैं। दिनांक 15.01.2020 तक 90 भर्तियों में लगभग 1.18 करोड़ आवेदन प्राप्त हुये हैं ।

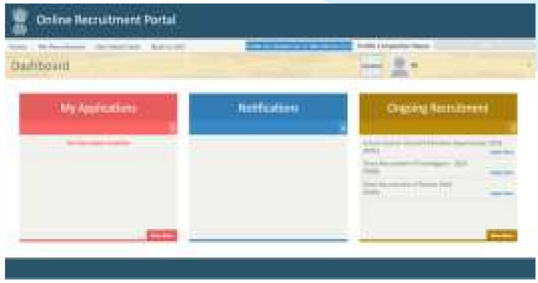

- **रास परियोजना (Rajasthan Accountability & Assurance System (RAAS))**

राजस्थान सरकार ने राजस्थान में सच्चे सुशासन के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए राजस्थान जवाबदेही तत्परित प्रणाली (RAAS) को लागू करने का इरादा किया है। यह परिकल्पना की गई है कि बहुत जमीनी स्तर तक सरकार की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए, आईसीटी का उपयोग एक प्रमुख भूमिका निभाएगा। इसके माध्यम से, आपातकालीन सेवाओं के सुचारू संचालन और प्रबोधन हेतु तथा सरकारी वाहनों और सरकारी उपयोग में आने वाले समस्त वाहनों के उपयोग में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से RAAS द्वारा वाहनों की GPS tracking का कार्य किया जा रहा हैं ।

RAAS परियोजना के अंतर्गत वाहनों में GPS device लगाये जाते हैं जिसके द्वारा उनकी GPS tracking के साथ गति, ऑन–ऑफ की स्थिती इत्यादि अन्य कई जानकारी की रिपोर्ट उपलब्ध होती है ।

वर्तमान में पुलिस, अग्निशमन, अन्नपूर्णा, वन विभाग, परिवहन विभाग के वाहनों में इस तकनीक का प्रयोग किया जा रहा हैं । प्रदेश के सभी अभय कमांड सेंटर पर पुलिस और अग्निशमन के वाहनों की नियमित मोनिटरिंग से क़ानून व्यवस्था को अधिक बेहतर बनाने में सहायता मिली है ।

- **ई-टेन्डर (e-Procurement)**

राज्य सरकार द्वारा राज्य में सार्वजनिक खरीद में निष्पक्षता, स्वतंत्रता एवं पारदर्शिता बढ़ाने हेतु दिनांक 1 अक्टूबर 2011 से भारत सरकार की मिशन मोड परियोजना ई–प्रोक्योरमेंट (Government eProcurement solution - GePNIC) प्रारम्भ की गई थी। वर्तमान में वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश के तहत 1 सितम्बर 2016 से सभी सरकारी विभागों एवं अर्ध सरकारी विभागों के लिए Goods and

services हेतु 10 लाख रूपये तथा Works हेतु 5 लाख रूपये की निविदाएं अनिवार्य रूप से ई–प्रोक्योरमेंट के माध्यम से करनी निर्धारित की गई थी।

राजस्थान में दिनांक 1 अक्टूबर 2011 से ई–प्रोक्योरमेंट पोर्टल (www.eproc.rajasthan.gov.in) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग द्वारा राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड के माध्यम से सफलता पूर्वक संचालित किया जा रहा है।

इस प्रोजेक्ट का वर्तमान Status निम्नलिखित तालिका के अनुसार हैं।

क्र.सं.	विवरण	मूल्य
1)	विभाग/सार्वजनिक उपक्रमों की संख्या	231
2)	पंजीकृत विभागीय उपयोगकर्त्ताओं की संख्या	11539
3)	पंजीकृत निविदादाताओं की संख्या	39929
4)	कुल निविदाऐं	293755
5)	प्रकाशित की गई निविदाओं का मूल्य (करोड़ रूपये में)	Rs. 566170
6)	सरकारी उपयोगकत्तओ को प्रशिक्षण दिया गया	7495
7)	निविदादाताओं द्वारा प्रस्तुत की गई निविदाऐं	1140541

- **एकीकृत स्वास्थ्य प्रबंधन प्रणाली (IHMS)**

इन्टीग्रेटेड हेल्थ मेनेजमेंट सिस्टम (IHMS) राजस्थान सरकार का एक स्वास्थ्य प्रबन्धन सोफ्टवेयर है जिसमे अस्पताल प्रबन्धन प्रणाली, टेलिमेडिसिन और वेलनेस एवं स्क्रीनिंग शामिल है। इस एप्लीकेशन के माध्यम से इलेक्ट्रोनिक हेल्थ रिकॉर्ड के रूप में रोगी के स्वास्थ्य संबंधी सम्पूर्ण डेटा संधारित किये जाते है जिनका उपयोग रोगी स्वंय अथवा रोगी द्वारा अधिकृत चिकित्सक कभी भी कही भी कर सकते है। वर्तमान मे 142 चिकित्सा संस्थानो द्वारा इस एप्लीकेशन के कुछ मोड्यूल्स पर कार्य करना आरम्भ कर दिया है एवं इसके माध्यम से अभी तक 221 लाख से अधिक रोगी इस एप्लीकेशन के माध्यम से पंजीकृत किये जा चुके है।

- **राजधरा**

राजस्थान का राज्य–व्यापी भू–स्थानिक निर्णय समर्थन प्रणाली सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग की GIS पहल के पीछे उद्देश्य नवीन डेटा विश्लेषण और विजुअलाइज़ेशन के लिए एक हब में GIS से संबंधित सभी निवेशों को एक साथ लाना है, राज्य के सामरिक दृष्टि

को पूरा करने में मदद करने के लिए लाइन विभागों के लिए भू–स्थानिक अनुप्रयोग और एक केंद्रीकृत मंच पर उचित हितधारकों को साझा करने के लिए Rajdhara यूनिफाइड स्टेट वाइड जीआईएस सक्षम निर्णय प्रणाली का प्राथमिक उद्देश्य ओजीसी मानकों के आधार पर भू–स्थानिक डेटा के उपयोग के लिए वेब आधारित जियो पोर्टल को डिजाइन और विकसित करना था, जो ओजीसी मानकों के आधार पर भू–स्थानिक डेटा के उपयोग और डाटा क्लियरिंग हाउस को विकसित करने के लिए था, जो कि नीति निर्माण, निर्णय लेने और विभिन्न योजनाओं / कार्यक्रमों की निगरानी के लिए राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों / एजेंसियों द्वारा राज्य में निष्पादित किए जा रहे स्थानिक डेटा का एक प्रवेश द्वार हो ।

- **राजमेघ**

राजमेघ के माध्यम से राज्य सरकार स्टार्टअप, पीएसयू, निगमों और अन्य राज्य को क्लाउड सेवाएं प्रदान की जायेगी। क्लाउड कंप्यूटिंग के तहत नेटवर्किंग, एप्लिकेशन, स्टोरेज, कंप्यूटिंग, डेवलपमेंट और प्लेटफ़ॉर्म के साथ–साथ व्यावसायिक प्रक्रियाएँ शामिल हैं।

राजमेघ प्रोग्राम के द्वारा सरकार आई.टी. अवसंरचना जैसे कि स्टोरेज नेटवर्किंग के साथ–साथ Infrastructure-as-a-Service (IaaS), Platform-as-a-Service (PaaS), Software-as-a-Service (SaaS) व Data-as-a-Service (DaaS) उपलब्ध करवायी जायेगी। राजमेघ के माध्यम से राज्य में व्यवसायों की उत्पादकता, विशेष रूप से स्टार्टअप और ई–गवर्नेंस को बढ़ावा देने के प्रयास में, राजस्थान सरकार ने अपनी क्लाउड सेवाओं को राजमेघ के रूप में जोड़ा गया है।

- **ई-राजस्व न्यायालय (e-Revenue Courts Portal)**

इस पोर्टल के माध्यम से राज्य के निवासियों को कृषि भूमि से संबंधित, सभी नामांतरण (दाखिल / ख़ारिज), जमीन पर मालिकाना हक की घोषणा से संबंधित, बटवारा), विवादित मामलों की सुनवाई एवं न्याय हेतु राजस्व न्यायालय में वाद दायर करने की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। जिसके द्वारा वादी, प्रतिवादी एवं अधिवक्ता द्वारा वाद को इन्द्राज / रिकार्ड करना एवं उसकी प्रगति का पता करना, नोटिस जारी करना एवं पावती तक कार्यवाही को रिकार्ड करना आदि सूचनायें भी उपलब्ध करवायी जा रही है।

- **राजसहकार परियोजना**

राजसहकार परियोजना का उद्देश्य सहकारिता विभाग की आंतरिक दक्षता में सुधार और इसकी विभिन्न नागरिक केंद्रित सेवाओं, जैसे की सहकारी समितियों के पंजीकरण, निगरानी, लेखा परीक्षा,

निरीक्षण, चुनाव और सहकारी समिति और शिकायत प्रबंधन के समापन में आई.टी. का प्रभावी उपयोग करना है। इस परियोजना का लक्ष्य पूरे सिस्टम को स्वचालित करने और विश्लेषणात्मक संसाधनों और वेब एवं मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से एक आईटी प्रणाली को लागू करना है।

- **राजनीर परियोजना**

राजनीर परियोजना को पी.एच.ई.डी. विभाग की आंतरिक दक्षता में सुधार करना और इसके राजस्व प्रबंधन प्रक्रियाओं को विभिन्न गतिविधियों जैसे कि मीटरिंग, बिलिंग, संग्रह और अन्य नागरिक सेवाओं में आईटी का प्रभावी उपयोग करना है। यह पूरे सिस्टम को स्वचालित करने और विश्लेषणात्मक उपकरणों और वेब पोर्टल (आंतरिक और बाहरी इंटरफ़ेस) और मोबाइल एप्लिकेशन के विकास के साथ एक आईटी समाधान को लागू करने की परिकल्पना की गई है।

- **एकीकृत ई-पंचायत सॉफ्टवेयर**

एकीकृत ई–पंचायत सॉफ्टवेयर, पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित समस्त जानकारी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बनाया गया है। इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की विभिन्न योजनाओं एवं विकास कार्यों की जानकारी आसानी से उपलब्ध हो रही है। इस एप्लीकेशन के माध्यम से नागरिक अपने क्षेत्र में विकास कार्यों के निष्पादन के लिए अपने सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं। वर्तमान में स्वच्छ भारत मिशन (SBM) लाभार्थियों के बैंक खाते में सहायता राशि का ऑनलाइन भुगतान इसी सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया जा रहा हैं ।

- **राज ई. आर. पी.**

राजस्थान सरकार की विभिन्न PSUs (सार्वजनिक उपक्रमों) के कार्यों को सुगमता, पारदर्शिता व गतिशीलता प्रदान करने हेतु एक Standard ERP Package विकसित किया गया है।

जिसके विभिन्न Module निम्न प्रकार है :–

- HRMS (Human Resource Management System)
- FAS (Financial Accounting System)
- MM (Material Management)
- WPM (Works Project Management)
- Production Planning, Sales & Marketing, etc.

यह Package राज्य सरकार के विभिन्न Standard Platforms e-sign, e-vault, SSO, RPP, RajPayment से एकीकृत हैं।

- **लेबर डिपार्टमेंट मैनेजमेंट सिस्टम**

LDMS परियोजना विभागीय अधिकारियों को विभाग के समग्र कामकाज में पारदर्शिता लाने और नागरिकों के लिए सेवा वितरण तंत्र को स्वचालित करने के उद्देश्य से लागू किया गया है। इस परियोजना का मुख्य उत्तरदायित्व श्रमिकों और जो समाज गरीब एवं वंचित वर्गों का गठन एवं उनके हितों की रक्षा करना है। नागरिकों के इस बड़े समूह को सेवा प्रदान करने के लिए आईटी आधारित समाधान का उपयोग किया गया है।

- **राजफेब** (RajFab)

नये कारखानों व Boilers के पंजीयन तथा वर्तमान में कार्यरत कारखानों व Boilers के प्रमाण पत्रों के नवीनीकरण के लिए Factory & Boiler विभाग हेतु RajFab Application विकसित किया गया है।

RajFab के माध्यम से विभाग को Paperless, Presence-less व कैशलेस बनाने हेतु विभाग की 107 विभिन्न सेवाओं काs Online किया गया हैं ।

- **स्टेट इंश्योरेंस एवं प्रोविडेंट फण्ड पोर्टल** (SIPF)

SIPF पोर्टल के माध्यम से राज्य सरकार के कर्मचारियों से सम्बंधित GPF, SI, NPS, GIS, मेडिक्लेम, इत्यादि सेवाओं को सुगम किया गया हैं।

SIPF पोर्टल, राजस्थान सरकार के कर्मचारियों के

लिए एक ऑनलाइन workflow & based application के रूप में विकसित की गयी है जिसमे निम्नलिखित सुविधाएं हैंः–

a) राज्य बीमा
b) भविष्य निधि
c) राष्ट्रीय पेंशन योजना
d) मेडिक्लेम
e) Bill भुगतान सुविधा (भुगतान आदेश)
f) MIS रिपोर्ट्स

- **लाईट्स-न्याय विभाग (Litigation Information Tracking & EvaluationSystem)**

राज्य सरकार से संबंधित सभी अदालतों में लंबित न्यायिक प्रकरणों की प्रभावी पैरवी व पर्यवेक्षण हेतु, न्यायिक प्रकरणों के प्रबंधन में सुधार के लिए, प्रशासनिक विभागों की सहायता करने एवं न्यायिक प्रकरणों के मामलों की प्रक्रियाओं को व्यवस्थित बनाने के लिए विकसित किया गया है।

- **राज ई-ज्ञान (Raj-e-Gyan)**

डिजिटल इंडिया की अवधारणा को सार्थक करते हुए विद्यालयों में अधिगम स्तर को गुणवत्तापूर्ण बनाने एवं विद्यार्थियों को ई–कंटेट के रूप में टेक्स्ट, पॉवर पाइंट, एनिमेशन, ऑडियो–विडियो, ई–पुस्तक आदि प्रारुपों में विद्यार्थियों, शिक्षकों, शिक्षाविदों व अभिभावकों हेतु उपलब्ध करवाई जा रही है। इसका निर्माण हिन्दी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं में किया गया है तथा इस पोर्टल पर शिक्षक एवं विद्यार्थी, स्वयं तैयार की गई पाठ्यसामग्री को आसानी से अपलोड भी कर सकते हैं। वेबसाइट– egyan.rajasthan.gov.in

- **एकीकृत उच्च एवं तकनीकी शिक्षा पोर्टल**

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा पोर्टल एकीकृत आई टी प्लेटफार्म है जो ई–शिक्षा तथा राज्य के महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के छात्रों से संबंधित समस्त शैक्षिक प्रकियाओं की मॉनिट्रिंग एवं प्रभावी क्रियान्वयन हेतु विकसित किया जा रहा है। पोर्टल के तहत राज्य के समस्त विश्वविद्यालयों एवं उनसे सम्बद्व महाविद्यालयों की जानकारी एक जगह उपलब्ध होगी। राज्य

सरकार के तकनीकी एवं गैर–तकनीकी सहित सभी संकायों के छात्रों का एकीकृत डाटाबेस तैयार किया जा रहा है।

- **लर्निंग मेनेजमेण्ट सिस्टम (Raj-LMS)**

Raj-LMS राजस्थान सरकार के समस्त विभागों के लिए Bi-Lingual (हिन्दी एवं अंगेजी) ऑनलाईन ट्रेनिग एवं कौशल उन्यन पोर्टल है। पोर्टल पर शिक्षण सामग्री, ऑनलाईन एवं क्लास रूम ट्रेनिग, कर्मचारियों/विद्यार्थी/नागरिको के लिए ऑनलाईन मूल्यांकन की व्यवस्था है, साथ ही पोर्टल पर प्रशिक्षु की प्रोगरेस ट्रेकीग, कौशल दक्षता विश्लेषण एवं ट्रेनिग के लिए अनुशंषा की सुविधा उपलब्ध है।

- **स्मार्ट क्लास रूम, शिक्षा विभाग**

राजस्थान शिक्षा क्षेत्र मे डिजिटल और आधुनिकतम टेक्नोलोजी के समावेश को बढ़ावा देने मे पूरे देश मे रोल मॉडल है ।

स्मार्ट क्लास रूम वर्चुअल (आभासी) हाईटैक ऑडियो विजुअल क्लासरूम हैं, जिसमें अध्यापक/विषय विशेषज्ञ दूर स्थित क्लासरूम में बैठकर विषय संबंधी लेक्चर दे सकता है तथा छात्र उस विषय विशेषज्ञ को सुनने और देखने के साथ ही लाइव क्लास रूम की तरह सवालों के जवाब पा सकता है ।

स्मार्ट क्लास रूम के द्वारा शिक्षकों की कमी से जूझ रहे महाविद्यालय/विद्यालयों के विद्यार्थियों कों लाभ मिल सकेगा ।

- **राजस्थान जन-आधार योजना का तकनीकी प्रबन्धन**

विभिन्न योजनाओं के लाभ सरलता, सुगमता एवं पारदर्शी रूप से आमजन तक पहुँचाने के उद्देश्य से 'एक नम्बर, एक कार्ड, एक पहचान' की विचारधारा के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए माननीय मुख्यमन्त्री, राजस्थान द्वारा बजट भाषण 2018–19 में 'राजस्थान जन–आधार योजना' लाए जाने की घोषणा की गई थी। आयोजना विभाग की इस योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए आयोजना विभाग द्वारा राजकॉम्प को राज्य स्तरीय क्रियान्वयन एजेंसी नियुक्त किया गया है। आधार योजना के तहत जन–आधार रेजिडेन्ट डेटा रिपोजिटरी (JRDR) का सफल प्रबन्धन जिसमें राज्य के 1.73 करोड निवासी परिवारों की जन–सांख्यिकीय एवं सामाजिक–आर्थिक (Demographic and Socio-Economic) सूचनाओं का डेटाबेस तैयार किया गया है एवं राज्य के एकीकृत पारिवारिक डेटाबेस (JRDR) के माध्यम से लोक कल्याणकारी योजनाओं के लाभो एवं सेवाओं की प्रदायगी में समस्त प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) तन्त्र का संचालन किया जायेगा।

8. वर्ष वार विगत तीन वर्षो के वित्तीय लक्ष्य तथा व्यय

वर्ष 2019-2020 के वित्तीय लक्ष्य तथा माह दिसम्बर, 2019 तक व्यय

(राशि लाख में)

S.No.	Project	Allotment			Exp. Upto 31.12.2019
		State Share	Central Share	Total	
1	IT& DoIT	67893.35	2.04	67895.39	52723.35
2	NEGP	0.00	0.36	0.36	0.00
	Total	**67893.35**	**2.40**	**67895.75**	**52723.35**

वर्ष 2018-2019 के वित्तीय लक्ष्य तथा व्यय

(राशि लाख में)

S.No.	Project	Allotment			Exp. Upto 31.03.2019
		State Share	Central Share	Total	
1	IT& DoIT	80283.17	445.02	80728.19	79118.74
2	NEGP	0.00	3296.00	3296.00	0.00
	Total	**80283.17**	**3741.02**	**84024.19**	**79118.74**

वर्ष 2017-2018 के वित्तीय लक्ष्य तथा व्यय

(राशि लाख में)

S.No.	Project	Allotment			Exp. Upto 31.03.2018
		State Share	Central Share	Total	
1	IT& DoIT	69054.04	952.03	70006.07	70003.25
2	NEGP	0.00	2495.01	2495.01	0.00
	Total	**69054.04**	**3447.04**	**72501.08**	**70003.25**

9. पुरस्कार एवं प्रशंसा

वर्ष 2019–20 में सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग को e-Governance और I.T. के क्षेत्र में राज्य की उपलब्धियों को विभिन्न राष्ट्रीय पुरस्कार पुरस्कृत किये गये हैं, जो निम्नलिखित हैं :–

1. Raj Masters – Centralized Master Data Hub को

- Indian Express Techsabha award 2019
- eGovernance Now award 2019 एवं
- Skoch award 2019 से नवाजा गया है।

2. RTI परियोजना को

- Skoch of Merit award से नवाजा गया है।

3. eSign CA Solution को

- eGovernance Now award 2019 से नवाजा गया है।

4. e-Bazaar परियोजना को

- Skoch of Merit award एवं
- IMC Digital Technology Award से नवाजा गया है।

5. WS&APS परियोजना को

- Finest India Skills & Talent (F.I.ST) Awards 2019 under innovation Product of the year Security से नवाजा गया है।

सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

आई.टी. भवन, योजना भवन, तिलक मार्ग, जयपुर

फोन : 0141-2224855 फैक्स : 0141-2222011

http://www.doitc.rajasthan.gov.in